

6/8  
6/23

पतावली पत्र (दुई) वकील जामुंगिन उपन्यासिण  
द्वारा प्रमाणपत्र पत्थरगरी करवाने खाकत (सन्तकित-धर)  
128 अ० लैण्ड रेव्यु-एक्ट पेश किया कि जामुंगिन  
की खोलेदारी ग्रामे खसरा नं. 58 रकबा 0-90  
हैम्पेर किसि न्याही वके शमा शलाकत लह  
कसवा जिला कोसा में स्थित है जामुंगिन की  
ग्रामे खसरा नं. 58 के पश्चिमी दिशा की ओर  
ग्राम लूगडवास की सीमा है जामुंगिन की खोलेदारी  
ग्रामे खसरा नं. 58 रकबा 0-90 हैम्पेर का  
सामान्य दिनांक: 12/6/2019 का हल्का पटवारी  
प गिरदावर हल्का डाय शीमान लहसीलडा (कसवा)

W  
उप खान अधिकारी  
बांदीकड़ (दीसा)

# FORM No. III

## फर्द अहकाम

(नियम 26)

जिल्ला उप जिला कलेक्टर

मुकाम

बांदीकुई

क्रमांक ..... बानाम ..... रामेन्द्र सरकार

कदमा ..... प्राथमिक क्रमांक 128/2022 नं. 154/2022 सन 2022

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
------------------------------------	--

के फाउंडेशन क्रमांक क्रमांक 128/2019/1859-60 दि  
7.6.19 की पालना में किया जा चुका है  
प्राथमिक की जवाबदारी भूमि क्रमांक नं. 58 रकबा  
0.90 हेक्टर के दिशा पश्चिम में ग्राम- लुगावस  
की स्वतंत्र सीमा है व जेट के मध्य पल्लरगढी  
तहसीलदार बसवा व पुलिस इलाका की कोर्टघर  
में करवाई जाकर विवाद को दूर करने के लिये समाप्त  
किया जा सकेगा। अतः प्राथमिक पर पेश कर निकल  
है कि प्राथमिक की जवाबदारी भूमि क्रमांक नं. 58 रकबा  
0.90 हेक्टर के पश्चिमी दिशा में जेट पर पल्लरगढी  
का फाउंडेशन तहसीलदार बसवा को जारी करवाना जोके  
एवं मध्य ही कर्मदाड पुलिस पल्लरगढी के फाउंडेशन  
की पालना करवाई जावे।

प्राथमिक पर प्राथमिक पर प्राथमिक को सुना  
गया। प्राथमिक पर में चर्चित हथों एवं संलग्न प्रमाण  
जमावती क्रमांक- 2014-77 ग्राम बलावला जिला के  
क्रमांक- 256 पुष्पा- 244 सीमांतान रिपोर्ट दि 12/6/19  
का फलस्वरूप किया। संलग्न प्रमाण जमावती संवत्-  
2014-77 के क्रमांक- 58 रकबा- 0.90 हेक्टर प्राथमिक  
की जवाबदारी भूमि है जिसका सीमांतान दि 12/6/19  
को किया जा चुका है। नाथवतहसीलदार बडैनालकला  
इस प्रमाण रिपोर्ट दि 10-11-2022 में भी ग्राम बलावला  
के क्रमांक- 58 रकबा 0.90 हेक्टर भूमि का सीमांतान  
दिया एवं पल्लरगढी किया जाना उचित बताया है। अतः  
इसमें विवेक से प्राथमिक प्राथमिक पर निश्चित प्रमाण  
128/2022 सीमांतान किया जाना उचित उचित होता है।

उप खण्ड अधिकारी  
बांदीकुई (दोसा)

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नंबर व  
अहकाम  
हुकम की  
में जारी

कतः प्राथमिक प्राथमिक पत्र कार्तवर्ति ख्यम 128  
L-R मय स्वीकार क्रम धके से स्वीकार किया जाकर  
प्राथमिक की खोलेदारी ख्यम खसम नं. 58 खकष  
0-90 हेम्ट वके ख्यात खलावत तहः खसवा धल-  
लहसाल- बांड़ीकुई की निममाधुसार पत्थरगाढी किने  
जके के फाउंडर डिने जाते हैं। लहसालदर बांड़ीकुई  
को निर्धारित किया जात है कि वे मॉके पर उपस्थित  
रहकर विधिवत पत्थरगाढी की कामवाही कराना जगना  
निर्धारित करें। तथा मॉके पर पत्थरगाढी की कामवाही  
के दौरान शोर्से व्यवस्था कामम रखने हेतु शतानधिकारी  
बांड़ीकुई से आवश्यक पुलिस जासा जप्त करें। शतान-  
धिकारी बांड़ीकुई वांशित पुलिस जासा मॉके पर उपलब्ध  
कराने। पालना हेतु लहसालदर बांड़ीकुई को लहरी  
जारी हो। पत्रवाही जलालशुमार धकेर वाउ तकालम  
कार्यल सार है।

उप खण्ड अधिकारी  
बांड़ीकुई (दौसा)